न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/35/2022	2022/71	17—08—2022	04—12—2024

1. पूरण पुत्र केसर जाति खटीक निवासी दांतिया तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. उप—तहसीलदार भनोखर, उप तहसील भनोखर तह0 कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध उपतहसीलदार भनोखर तह0 कठूमर दिनांक 27.07.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 06/2022

उपस्थितः—

01—श्री दशरथ सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट

02—राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट

:—निर्णय :—

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत उपतहसीलदार भनोखर तह0 कठूमर जिला अलवर के आदेश दिनांक 27.07.2022 प्रकरण संख्या 06/2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर पेन्लटी कायम करने का आदेश दिया गया, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आदेश श्रीमान उप तहसीलदार भनोखर, जिला अलवर का है। जिससे अपील को सुनने का न्यायक्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है। तहत अदालत का विवादित आदेश कतई गलत वो खिलाफ कानून वो खिलाफ इंसाफ है। तहत अदालत ने अपनी आज्ञा सादिर फरमाने से पूर्व कोई जांच नहीं की एवं ना ही पटवारी हल्का के बयान रिकोर्ड किये और ना ही अपीलार्थी को उससे जिरह करने का मौका सादिर फरमाया एवं ना ही अपीलार्थी को अपनी ओर से दस्तावेजात पेश करने व गवाहान को पेश करने का मौका सादिर फरमाया गया। आराजी खसरा नम्बर 792/1704 के लगते हुए आराजी खसरा नम्बर 789 हैं जिसमें अपीलार्थी के पिता केसर पुत्र यादराम का 1/16 हिस्सा निहित हैं। जिसमें सभी सहखातेदारान द्वारा आपसी बटवारा करते हुए अपीलार्थी ने बुजुर्गान के समय से ही अपने हिस्से रकबे में निर्माण किया हुआ हैं तथा बाउण्ड्री कर पक्की दीवार का निर्माण किया हुआ हैं। अपीलार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 792/1704 में किसी प्रकार का कोई पक्की दीवार का निर्माण करके अतिक्रमण नहीं किया हुआ हैं। बल्कि अपीलार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 789 ने अपने हिस्से पर दीवार का निर्माण किया हुआ हैं तथा अपीलार्थी व उसका परिवार रिहायश करते चले आ रहे हैं। जिस तथ्य पर तहत न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। आराजी खसरा नम्बर 789 में अन्य सहखातेदारान ने भी अपने—अपने हिस्से पर निर्माण करते हुए रिहायश करते चले आ रहे हैं तथा आराजी खसरा न० 792/1704 पुरविल्सी भी कथित द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ हैं तथा उक्त आराजी मौके पर खाली पडी हुई हैं तथा उसमें एक मंदिर बना हुआ हैं। न्यायालय श्रीमान आराजी खसरा नम्बर 792/1704 की पैमाईश करा सकते हैं। अपीलार्थी इसके लिए तैयार हैं। उक्त विवादित आदेश तहत अदालत द्वारा एक पक्षीय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रूप से पारित किया है। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलार्थी को सम्यक् रूप से तलब करना चाहिए था। मिन अपीलार्थी पर कोई सम्यक् रूप से तामील नही करायी गयी। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश मनमाना वो कयासिया तौर पर पारित किया है। मिन अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर कतई अतिकमी नहीं है। बेजा अतिक्रमी घोषित किया है। तहत अदालत के निर्णय से ज्ञात हुआ है कि पटवारी हल्का द्वारा मिन अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण बाबत जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जो मौके कब्जे व विधि के विरूद्ध पेश की गयी है। अतः अपील हाजा पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर आज्ञा जेर अदालत उप तहसीलदार भनोखर जिला अलवर दिनांक 27.07.2022 निरस्त फरमाने के आदेश पारित किये जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का दांतिया की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 792/1704 रकबा 0.08 किस्म गैर मुमकिन मरघट दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दांतिया अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 792/1704 में से 75 वर्ग फीट भूमि पर पक्की दीवार कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है जो कि अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार भनोखर, जिला अलवर का आदेश दिनांक 27.07.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.12.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)